5/12/21

[illegible]

28/2/2022 पत्रावली पेश हुई। बहुलाल उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार बारे जवाब, बकाया लगान, कॉस्ट अदायगी दि 06-4-2022 को पेश हो।

6/6/22 पत्रावली पेश हुई। बहुलाल आदि उपस्थित। पत्रावली बारे जवाब, बकाया लगान व कोस्ट आदायगी दि 22.9.22 को पेश हो।

22/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील सायल व सायल उप० नहीं। प्रकरण में बार-बार सायल व सायल वकील को आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद सायल व सायल वकील उप० नहीं। जिससे जाहिर होता है कि सायल अथवा वकील प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। सायल प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मु० नं० 69/14 ए०-1 मंगर पुत्र [illegible] आदि खाजी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर सम्बन्ध से समाप्त।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)